09 अप्रैल, 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 39वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 39.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
i.	मैसर्स इंडस जीन एक्सप्रेशंस लिमिटेड	कोडूर और सेट्टीपल्ली गांव, चिलमातुर मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	बायोटेक	10.53	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	अंगामाली गांव, एर्नाकुलम, केरल	एयरपोर्ट आधारित एसईजेड	100	हां	हां	*11* अगस्त, *2009* को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित किया गया था। विकास आयुक्त, सीएसईजेड की सिफारिश पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार के लिए शामिल किया गया था।
iii	मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स लिमिटेड	मपिरेड्डीपल्ली गांव, तूपारन मंडल, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश	बायोटेक तथा संबद्ध गतिविधियां	10.12	हां	हां	नया
iv	मैसर्स सुचिर इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	तुर्कापल्ली गांव, शमीरपेट मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश	जैव प्रौद्योगिकी	13	हां	हां#	नया
v.	मैसर्स लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड	केआईएडीबी औद्योगिक क्षेत्र, हेब्बल - हूटागल्ली, मैसूर, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	10	हां	हां	नया
vi.	लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड	महरूमकला, महरूमखुर्द तथा चवेली गांव, राजनंदगांव जिला, छत्तीसगढ़	सोलर एसईजेड	101	नहीं^	हां	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

#सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए

^ औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश करते समय छत्तीसगढ़ सरकार ने सूचित किया है कि विकासक को *250* एकड़ भूमि का अंतरण किया जा रहा है तथा भूमि अंतरित करने की सभी औपचारिकताएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएंगी।

<u>मद संख्या 39.2 :</u> सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक	स्थान	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
(i)	स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड	टीवी पुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु	तांबा	128	15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 197 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब विकासक ने 128 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने कुछ शर्तों (अनुबंध 2) के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है।

<u>मद संख्या 39.3 :</u> डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची में वृद्धि

डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों, जो अधिसूचना की तिथि से डिफाल्ट रूप से विकासक / सह विकासक द्वारा शुरू किए जा सकते हैं, की समेकित सूची अनुदेश संख्या 35 के रूप में इस विभाग के पत्र संख्या सी.8/4/2009-एसईजेड दिनांक 04 सितंबर, 2009 (अनुबंध 3) के माध्यम से जारी की गई है। विकास आयुक्तों / यूनिट अनुमोदन समिति को एसईजेड की अधिसूचना की तिथि से इन डिफाल्ट अधिकृत गतिविधियों के लिए विकासकों / अनुमोदित सह विकासकों को ड्यूटी फ्री सामग्री की अनुमति प्रदान करने की सलाह दी गई।

एसईजेड की अवसंरचना का शीघ्रता से विकास सुनिश्चित करने तथा अनुमोदनों को सरल बनाने के लिए डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची का विस्तार करने की आवश्यता महसूस की गई। इसलिए डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की समेकित सूची अनुदेश संख्या 50 के रूप में इस विभाग के पत्र संख्या एफ.5/1/2010-एसईजेड दिनांक मार्च, 2010 (अनुबंध 4) के माध्यम से जारी की गई। अधिकृत प्रचालन जो डिफाल्ट सूची में शामिल किए गए हैं, इस प्रकार है :

(i) राज्य सरकार के स्टाफ के लिए कार्यालय स्थान
(ii) प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष
(iii) एटीएम के लिए स्थान
(iv) मालगोदाम
(v) प्रसंस्करण क्षेत्र के स्टाफ के लिए कैफेटेरिया / कैंटीन
(vi) तुला ब्रिज
(vii) पुस्तकालय
(viii) ईंधन भंडारण एवं वितरण प्रणाली
(ix) पुलिस स्टेशन बिल्डिंग तथा उपकरण

उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित अधिकृत प्रचालन जो सभी प्रकार के एसईजेड के लिए डिफाल्ट के रूप में पहले उपलब्ध नहीं थे, अब सभी प्रकार के एसईजेड के लिए डिफाल्ट प्रचालन बनाए गए हैं।

क) प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए एयर कंडिशनिंग
ख) फायर स्टेशन बिल्डिंग्स
ग) केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
घ) प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण
ङ) प्रवेश नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली
च) बैंकों के लिए स्थान

यह अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ / पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.4 :</u> सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्रोग्रेसिव टेकमार्ट आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0498 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स प्रोग्रेसिव टेकमार्ट आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के 1.7015 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 30 नवंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।

(ii) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0498 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 15 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स आचविस आईटी एसईजेड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के 1.4275 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 30 नवंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(iii) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स मज्टीटास्क इंफार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्लॉट नंबर 7, **सेक्टर** 144, **नोएडा, उत्तर प्रदेश में** 10.0498 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 15 **मई**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स मज्टीटास्क इंफार्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के** 1.0700 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 30 **नवंबर** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।**

(iv) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सलूसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्लॉट नंबर 7, **सेक्टर** 144, **नोएडा, उत्तर प्रदेश में** 10.0498 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 15 **मई**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स स्टैंडर्ड आईटी वेब सलूसंश प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के** 0.5322 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 30 **नवंबर** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।**

(v) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एएस मल्टीमीडिया सलूसंश प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्लॉट नंबर 7, **सेक्टर** 144, **नोएडा, उत्तर प्रदेश में** 10.0498 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 15 **मई**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स एएस मल्टीमीडिया सलूसंश प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के** 1.0048 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संभावित यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रयोजनार्थ और/या इससे जुड़े प्रयोजनों के लिए प्लग-एन-प्ले इंक्यूबेटर अवसंरचना सुविधा के निर्माण एवं विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 30 **नवंबर** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।**

(vi) प्लॉट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

प्लॉट नंबर 7, **सेक्टर** 144, **नोएडा, उत्तर प्रदेश में** 10.0498 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आचविस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड** 15 **मई**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स थ्री सी फेसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड में एसईजेड के उपकरणों, सेवाओं एवं कॉमन एरिया के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 27 **नवंबर** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन प्रस्तुत है।**

(vii) राजीव इंफोटेक पार्क, प्लॉट नंबर 28, हिंजवाड़ी, फेस 2, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीएलएफ यूटिलीटीज लिमिटेड का अनुरोध

राजीव इंफोटेक पार्क, प्लॉट नंबर 28, एमआईडीसी, हिंजवाड़ी, फेस 2, पुणे, महाराष्ट्र में 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 14 सितंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स डीएलएफ यूटिलिटीज लिमिटेड ने एकल स्रोत पर विद्युत प्रदान करने तथा उक्त एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में वाष्प अवचूषण मशीनों का प्रयोग करके चिल्ड वाटर का उत्पादन करने के लिए एनर्जी सेंटर स्थापित करके गैस टर्बाइन आधारित विद्युत उत्पादन सेट संस्थापित और शुरू करने के लिए एक सह उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। बताया गया है कि संयंत्र स्थापित करने के लिए बेसमेंट में कुल 9600 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 19 फरवरी, 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

(viii) द्वारकापुरम गांव, नायडूपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्वारकापुरम गांव, नायडूपेट मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1032.27 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित जा रहा बहु उत्पाद एसईजेड** 16 **फरवरी**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स ग्रीनटेक इंडस्ट्रीज** (इंडिया) **प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में** 85.02 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक** 23 **दिसंबर** 2009 **उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।**

(ix) नेल्लिकोड गांव, कोझिकोड जिला, केरल में मैसर्स यूरालुंगाल लेबर कंट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स यूएलसीसीएस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स यूरालुंगाल लेबर कंट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा नेल्लिकोड गांव, जिला कोझीकोड, केरल में 10.162 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 23 फरवरी, 2010 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स यूएलसीसीएस आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो विकासक की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने एसईजेड में प्रासंगिक सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 5 जनवरी, 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुन: प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.5 :</u> अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

भडूच जिला, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स जुबिलैंट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा 107.16.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भडूच, गुजरात में रसायनों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 फरवरी 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	सभी आवश्यक साजोसामान एवं इसकी वितरण प्रणाली के साथ कोल फायर्ड बायलर वाला स्टीम जेनरेशन प्लांट	8000 क्षमता - *25* टीपीएच
2.	सभी साजोसामान तथा इसकी कार्यालय केबिन के साथ तौल सेतु	160 क्षमता - *4 x* *80* टन या *100* टन
3.	सभी साजोसामान के साथ अमोनिया भंडारण टैंक	7200 क्षमता - *2 x* *60* मीट्रिक टन *(जल आयतन)*
4.	औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि ठोस, तरल एवं गैसीय अपशिष्ट आदि के शोधन के लिए आवश्यक मदों एवं साजोसामान के साथ सभी आवश्यक उपकरणों से लैस इनसाइनेटर प्लांट	900 ठोस अपशिष्ट - *1200* किलोग्राम प्रतिदिन तरल अपशिष्ट *125,* प्रतिदिन *3* तथा गैसीय अपशिष्ट - *26000* सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा

15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया था। अनुरोध के संबंध में अनुमोदन बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त यहां पुन: प्रस्तुत है :

"बोर्ड ने नोट किया कि ऐसे मुद्दे हैं जिनकी जांच करने की आवश्यकता है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रचालन अवसंरचना की प्रकृति के हैं अथवा प्रभार्य सेवा की प्रकृति के हैं। तद्नुसार प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया गया तथा अनुमोदन बोर्ड का सचिवालय निर्णय के लिए फाइल पर प्रस्ताव की जांच करेगा।

इस बीच विकासक ने अब मात्रा में परिवर्तन के बगैर नाम "अमोनिया स्टोरेज टैंक" से बदलकर "हाई प्रेशर लिक्विड स्टोरेज टैंक" करने का अनुरोध किया है। विकासक ने अतिरिक्त टैंकों के लिए भी अनुरोध किया है। इस प्रकार विकासक द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिकृत प्रचालनों का पूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	सभी आवश्यक साजोसामान एवं इसकी वितरण प्रणाली के साथ कोल फायर्ड बायलर वाला स्टीम जेनरेशन प्लांट	8000 क्षमता - 25 टीपीएच
2.	सभी साजोसामान तथा इसकी कार्यालय केबिन के साथ तौल सेतु	160 क्षमता - 4 x 80 टन या 100 टन
3.	सभी साजोसामान के साथ हाई प्रेशर लिक्विड स्टोरेज टैंक	7200 क्षमता - 2 x 60 मीट्रिक टन (जल आयतन)
4.	औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि ठोस, तरल एवं गैसीय अपशिष्ट आदि के शोधन के लिए आवश्यक मदों एवं साजोसामान के साथ सभी आवश्यक उपकरणों से लैस इनसाइनेटर प्लांट	900 ठोस अपशिष्ट - 1200 किलोग्राम प्रतिदिन तरल अपशिष्ट 125, प्रतिदिन 3 तथा गैसीय अपशिष्ट - 26000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा
5.	लिक्विड भंडारण टैंक	1000 क्षमता - 2 x 250 घनमीटर मीट्रिक टन
6.	लिक्विड भंडारण टैंक	1000 क्षमता - 2 x 30 घनमीटर मीट्रिक टन

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुन: विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(i) ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकृत प्रचालन अवसंरचना / औद्योगिक सुविधा की प्रकृति के हैं

(ii) अनुमोदन बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक में अधिकृत प्रचालन के रूप में समान अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की है।

(iii) एसईजेड अधिनियम के खंड 2 (पी) के अनुसार "अवसंरचना सुविधाएं" भी एसईजेड के विकास के लिए आवश्यक वाणिज्यिक सुविधाओं में शामिल हैं।

(ii) नागपुर, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सुयोग रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक के अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि अनुमोदन बोर्ड का यह मानना है कि आवश्यकता की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध होनी चाहिए और तद्नुसार विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 10 टावर वाले टाइप ए अपार्टमेंट	22260
2.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 42 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 1 टावर वाले टाइप बी अपार्टमेंट	2013.55
3.	आवासन एवं आवासीय अपार्टमेंट : कुल 420 ड्वेलिंग यूनिट के साथ 15 टावर वाले टाइप सी अपार्टमेंट	25210.50

विकास आयुक्त की रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है (अनुबंध 3)। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुन: विचार किए जाने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशनल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित बहु उत्पाद्र एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीबी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशनल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा गांव एवं तालुक, कच्छ जिला, गुजरात में 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद्र एसईजेड अधिसूचित किया गया था। मैसर्स डीबी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	चार सितारा श्रेणी का होटल	6688 (44.00 वर्गमीटर के औसत निर्मित क्षेत्र के साथ 152 कमरे)
	होटल में निम्नलिखित सहायता सुविधाएं होंगी :	
क	स्वीमिंग पूल	180
ख	हेल्थ क्लब	100
ग	जिम	500
घ	व्यवसाय केन्द्र	300
ङ	बैंक्वेट रूम	600
च	रेस्टोरेंट एंड लिकर बार	500
छ	इंट्रेंस लॉबी	380.26

डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	32000

उक्त अनुरोध 15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में भी सूचीबद्ध था। तथापि, केवल 15000 वर्गमीटर के क्षेत्र के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक ने 15000 वर्गमीटर के स्थान पर 32000 वर्गमीटर के क्षेत्र को अनुमोदित करने के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान किया है। विकासक का अनुरोध अनुबंध 6 के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.6 :</u> क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) त्रिक्काकारा उत्तर गांव, कानयान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में अपने क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर "सोलर फोटो वाल्टिक" से बदलकर "सोलर फोटो वाल्टिक सहित गैर परंपरागत ऊर्जा" करने के लिए मैसर्स कार्बोरूंडम यूनिवर्सल लिमिटेड का अनुरोध

कानयान्नूर, एर्नाकुलम जिला, केरल में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स कार्बोरूंडम यूनिवर्सल लिमिटेड द्वारा सोलर फोटो वाल्टिक एसईजेड 17 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया है कि कुछ संभावित व्यवसाय ग्रुप जो सौर ऊर्जा से नहीं जुड़े हैं परंतु कुछ अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र जैसे कि पवन ऊर्जा आदि से जुड़े हैं, उक्त एसईजेड में यूनिटें स्थापित करने के लिए व्यवसाय के अवसरों की तलाश कर रहे हैं। सेक्टर का वर्तमान नाम ऐसे उद्यमियों को पट्टा पर भूमि देने में रुकावट है। इसलिए विकासक ने सेक्टर का नाम 'सोलर फोटोवाल्टिक' से बदलकर 'सोलर फोटोवाल्टिक सहित गैर परंपरागत ऊर्जा' करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि संशोधित सेक्टर भूमि क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करता है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में "इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" को शामिल करने के लिए मैसर्स इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड का अनुरोध

बंगलौर, कर्नाटक में 10.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि चूंकि एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 5 (2) (ख) आवेदक को आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अनन्य रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते उक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल 1 लाख वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र

के साथ 10 हेक्टेयर या अधिक हो, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 'आईटी / आईटीईएस एसईजेड' से संशोधित करके 'आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड' किया जाए। अत: विकासक ने आईटी / आईटीईएस से आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में परिवर्तन को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में "इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर" को शामिल करने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

गुड़गांव, हरियाणा में 23.429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि चूंकि एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 5 (2) (ख) आवेदक को आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अनन्य रूप से क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते उक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल 1 लाख वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ 10 हेक्टेयर या अधिक हो, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 'आईटी / आईटीईएस एसईजेड' से संशोधित करके 'आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड' किया जाए। अत: विकासक ने आईटी / आईटीईएस से आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर में परिवर्तन को अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) नंजनगुड, मैसूर जिला, कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए वर्तमान क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में "आईटी / आईटीईएस" को शामिल करने के लिए मैसर्स डा. ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 21 अगस्त 2007 के माध्यम से नंजनगुड, मैसूर जिला, कर्नाटक में 12.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकास के लिए मैसर्स आप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक वर्तमान सेक्ट्र में आईटी और आईटीईएस की गतिविधियों को शामिल करना चाहता है क्योंकि ये गतिविधियां एक दूसरे की पूरक हैं। अत: विकासक ने अनुमोदन को "इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर" करने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.7 :</u> क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में परिधान के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

हिंदूपुर, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में 141.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स नियोजेन प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परिधान के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 13 जून, 2007 को

अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने पहले अधिसूचित क्षेत्रफल से 40.80 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 100.84 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि निर्यातकों द्वारा डीटीए लोकेशन को वरीयता दी जा रही है क्योंकि वे डीईपीबी योजना को अधिक लाभप्रद मानते हैं क्योंकि यह उनको अधिक लोच प्रदान करती है, जबकि एसईजेड से प्रचालन उन्हें निर्यात की बाध्यताओं से बांधता है। इसकी वजह से एसईजेड सुविधा बेकार पड़ी हुई है। विकासक ने यह भी कहा है कि वस्त्र / परिधान उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए मांग को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एसईजेड के कुछ अंश को विमुक्त करके मांग को पूरा करने के लिए का निर्णय लिया है। विकासक ने प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड के क्षेत्र की सन्निकटता बनी रहेगी। यह भी बताया गया है कि एसईजेड में एक भी यूनिट प्रचालन नहीं कर रही है। विकासक ने यह भी कहा है कि उन्होंने कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है। विमुक्तीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल को दर्शाने वाला मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया है (अनुबंध -7)। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) बैकमपैडी, दक्षिण कन्नड़ जिला के पास, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स एवं पेट्रोलियम सेक्टर के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

बैकमपैडी, दक्षिण कन्नड़ जिला के पास, कर्नाटक में 587.921 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड द्वारा पेट्रोकेमिकल्स एवं पेट्रोलियम के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 6 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने पहले अधिसूचित क्षेत्रफल से 5.64 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 581.281 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि एसईजेड के लिए विद्युत प्रदान करने के लिए 220 केवी का सब स्टेशन स्थापित करने के लिए विमुक्त भूमि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (केपीटीसीएल) को पट्टे पर दी जाएगी। विकासक द्वारा प्रस्तुत विस्तृत औचित्य अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.8 :</u> मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शोलिंगानल्लूर, टम्बाराम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड से संबंधित मुद्दे

(i) भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने तथा कुछ अंश को शामिल करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शोलिंगनल्लूर, तांबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 18.604 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 3 मई 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने 13.08.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने तथा एसईजेड क्षेत्र में 5.72.1 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने के लिए भी अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 11.24.1 हेक्टेयर हो जाएगा। बताया

गया है कि अधिसूचित भूमि के संबंध में कुछ आपत्तियां प्राप्त होने के कारण विकासक को विवादित भूमि जो वादग्रस्त है को एसईजेड से बाहर करने के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती करने हेतु आवेदन करने की सलाह दी गई। यह एसईजेड से उपर्युक्त 13.08.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मुख्य कारण है। विकासक ने कहा है कि ऊपर उल्लेख के अनुसार एसईजेड के पुन: संरेखण के बाद भी न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पूरी होगी। विकासक ने भूमि के अतिरिक्त अंश पर कब्जा / स्वामित्व के समर्थन में बिक्री विलेख की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया क्योंकि विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने बताया कि कुछ आरटीआई आवेदन सहित अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में विकासक से जुड़े कुछ मुद्दे हैं और इसलिए वह स्पष्ट रूप से सिफारिश करने की स्थिति में नहीं हैं। विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस ने अब इस मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है (अनुबंध 9)।

इसलिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) अलमेलू मंगापुरम और गणपति सिंडिकेट आवासीय प्लाट स्वामी कल्याण संगठन, शेलिंगनल्लूर द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका पर मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 8 मार्च 2010

उपर्युक्त संगठन ने अभिवेदन दिया था / अपील की थी (अनुबंध 10) जिसमें मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शोलिंगनल्लूर, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को अधिसूचित करने वाली इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 मई 2007 को निरस्त करने की प्रार्थन की गई थी। अभिवेदन / अपील की जांच की गई तथा यह कहते हुए निस्तारित किया गया कि इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय पर ही मामले की जांच की जाएगी (अनुबंध 11)।

इस जवाब से असंतुष्ट संगठन ने प्रथम आवेदक अर्थात अनुमोदन बोर्ड को उपर्युक्त अपील / अभिवेदन का निस्तारण करने का निदेश देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में परमादेश के लिए रिट याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने आदेश दिनांक 8 मार्च 2010 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड को 8 सप्ताह की अवधि के अंदर अपील का निस्तारण करने का निदेश दिया है। विकासक का अनुरोध अनुबंध 12 के रूप में संलग्न है।

<u>मद संख्या 39.9 :</u> विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) माउंट पूनामल्ली हाई रोड, इयापंतागल, पोरूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

माउंट पूनामल्ली हाई रोड, इयापंतागल, पोरूर, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.194 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एस्ट्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10 मार्च, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि वर्तमान निराशाजनक आर्थिक स्थिति तथा बाजार की हालत को देखते हुए वे आईटी / आईटीईएस के लिए स्थान हेतु मांग के बिल्कुल न होने की संभावना देख रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न आईटी पार्क जो निर्मित किए गए हैं, अपेक्षित रेंटल में भारी कटौती के बावजूद अधिभोक्ताओं की तलाश करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताया गया है कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए प्रबंधन ने यह एसईपीजेड परियोजना को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है तथा निवेश के अन्य अवसरों में कदम रखने का निर्णय लिया है, जिनका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। विकासक ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के तहत प्राप्त किए गए लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है। विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) नल्लांबकम गांव, चेंगलपुट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

नल्लांबकम गांव, चेंगलपुट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.17.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स यूनिटेक इंफोपार्क लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10 जुलाई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने कारण के रूप में वैश्विक आर्थिक मंदी तथा बाजार से वास्तविक प्रयोक्ता के गायब होने का उल्लेख करते हुए एसईजेड को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने कोई ड्यूटी छूट / लाभ प्राप्त नहीं किया है। तथापि, विकासक आयुक्त ने सूचित किया है कि विकासक ने एसईजेड में तैनात किए गए अधिकृत अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभारों का भुगतान नहीं किया है। इसलिए विकास आयुक्त ने कहा है कि विमुक्तीकरण से पूर्व विकासक से विकास आयुक्त, एमईपीजेड - एसईजेड के बकायों को क्लियर करने के लिए कहा जा सकता है। विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में विद्युत के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

वरोरा, चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र में 101.47 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वर्धा पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विद्युत के लिए विकसित किया जा रहा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 3 सितंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि मैसर्स विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड (वीपीएल) जो उपभोक्ताओं के लिए प्रोफाइल का एक अग्रणी निर्यातक है, द्वारा 1 एमटीपीए की अपनी नई विनिर्माण सुविधा जो वाडा, महाराष्ट्र में एसईजेड / ईओयू के रूप में स्थित होनी है, के माध्यम से 270 मेगावाट विद्युत के आफटेक को ध्यान में रखते हुए एसईजेड का प्रस्ताव किया गया था। तथापि, वैश्विक मंदी के कारण वीपीएल ने विकासक को सूचित किया है कि निकट भविष्य में उनकी एसईजेड / ईओयू सुविधा के स्थापित होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा ईओयू के रूप में वीपीएल की 50 मेगावाट की मौजूदा विद्युत आवश्यकता बहुत कम अर्थात एसईजेड के रूप में स्थापित किए जा रहे 550 मेगावाट के पावर प्लांट का लगभग 10 प्रतिशत है। उपर्युक्त के मद्देनजर

विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर लाभों को लौटाने का वचन दिया है। विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.10 :</u> अनुमोदन को वापस लेना

(i) फुरसुंगी हवेली गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएसके एसईजेड प्रोजेक्ट्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

08 दिसंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक की सिफारिशों के आधार पर फुरसुंगी हवेली गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएसके एसईजेड प्रोजेक्ट्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 27 फरवरी, 2009 को एलओए जारी किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

इससे पूर्व विकासक ने अनुरोध करने के कारणों के रूप में समग्र आर्थिक परिदृश्य तथा बड़ी परियोजना की आयोजना में कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए सेक्टर को "बहु सेवा' से बदलकर "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए तथा क्षेत्रफल 101.2 हेक्टेयर से घटाकर 17.81 हेक्टेयर करने के लिए भी अनुरोध किया था। 11 फरवरी 2010 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया जिसमें विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने सन्निकटता आदि के संबंध में विभिन्न मुद्दों की सूचना प्रदान की थी तथा इस विभाग से विकासक को प्रदान को औपचारिक अनुमोदन की समीक्षा करने तक की सिफारिश की थी। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने क्षेत्रफल में कटौती तथा सेक्टर में परिवर्तन के लिए विकासक के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

अब स्वयं विकासक ने यह कहते हुए उपर्युक्त एसईजेड के विकास के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने की मांग की है कि कंपनी पहले किए गए अनुरोध के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्रफल के साथ भी एसईजेड परियोजना को जारी रखने की इच्छुक नहीं है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) तिरुपल्या तथा मारागंदनहल्ली गांव, अनेकल तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हेबे इनफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी को वापस लेना

एलओए दिनांक 3 सितंबर 2008 के माध्यम से तिरुपल्या तथा मारागंदनहल्ली गांव, अनेकल तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में 10.265 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर, साफ्टवेयर तथा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स हेबे इनफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब विकासक ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर मंदी की रुझानों के कारण शेयरधारक तथा निदेशक मंडल भी यह महसूस करता है कि परियोजना का विकास करना वित्तीय दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। इसलिए विकासक ने

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि आज तक कोई राजकोषीय लाभ प्राप्त नहीं किया गया है तथा यह भी कि किसी संभावित यूनिट के साथ कोई करार भी नहीं किया गया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.11 :</u> औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में 119 मामलों को एक साल के लिए समय विस्तार पहले ही प्रदान किया जा चुका है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 16 मामले प्राप्त हुए हैं। एक साल के लिए अवधि बढ़ाने हेतु ये मामले भी अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(i) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध

(ii) नंजनगुड तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर पार्क के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो सर्किट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(iii) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

(iv) शिजरा किला बंदी गांव, बादशाहपुर तहसील, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मोहन इनवेस्टमेंट्स एवं प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) आरासुर गांव, पल्लाडम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स ट्रू डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) घोडबंदर गांव, मीरा रोड तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स आएनए बिल्डर्स का अनुरोध

(vii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(viii) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अजंता प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का अनुरोध

(ix) नारीवल्ली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(x) मंजुसर गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध

(xi) **जिगनी औद्योगिक क्षेत्र, अट्टीबेली तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 23 **अगस्त**, 2009 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।**

(xii) **कोकापेट गांव, सेरीलिंगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला,आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 22 **अक्टूबर**, 2009 **के बाद बढ़ाने के लिए हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण** (एचएमडीए) **का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।**

(xiii) **सहस्त्र धारा रोड, देहरादून, उत्तराखंड में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 24 **अक्टूबर**, 2009 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।**

(xiv) **इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 24 **अक्टूबर**, 2009 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।**

(xv) **सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि** 05 **नवंबर**, 2009 **के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन**

की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।

(xvi) **नेदुम्बासेरी और चेंगामनाडु गांव, अलुवा तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 अक्टूबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स पार्श्वनाथ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध विकासक ने पहली बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड विलंब को माफ करने पर भी विचार कर सकता है।**

<u>मद संख्या 39.12 :</u> औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) फरीदाबाद रोड, गुड़गांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.393 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 06 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 30 जुलाई, 2009 को 0.8245 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया था। इससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 11.2175 हेक्टेयर हो गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 5 नवंबर, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि वन विभाग ने अभी तक एनओसी जारी नहीं किया है तथा वन विभाग से एनओसी प्राप्त किए बगैर एसईजेड में निर्माण शुरू नहीं हो सकता है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(ii) रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स हैदराबाद जेम्स एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 9 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 80.93 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 14 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 8 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि उन्होंने प्रसंस्करण क्षेत्र में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के 96 प्रतिशत का निर्माण पूरा कर लिया है तथा शेष 4 प्रतिशत के विकास के लिए मानक डिजाइन कारखाना भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। विकासक ने यह भी कहा है कि यद्यपि समय सीमा के अंदर निर्माण पूरा करने के लिए अधिकतम प्रयास किए गए परंतु तकनीकी कारण से अभी तक शेष क्षेत्र का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(iii) गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 17 अगस्त, 2006 के माध्यम से 113.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 114.8318 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 16 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि राज्य सरकार द्वारा 30 अगस्त 2008 को अनुमोदित मास्टर प्लान को उन्होंने इस वजह से प्रमाणित नहीं किया है कि राज्य सरकार ने एसईजेड के रूप में अधिसूचित उनकी भूमि में टोल प्लाज़ा के निर्माण के लिए अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। पंजाब और हरियाणा के माननी उच्च न्यायालय में उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई तथा अभी भी यह न्यायाधीन है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने रेलवे कोरिडोर के निर्माण के लिए अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण में भी रुचि प्रदर्शित की है। यह भी सूचित किया गया है कि विकासक राज्य सरकार के साथ न्यायालय से बाहर भूमि अधिग्रहण के मामले का निस्तारण करने की प्रक्रिया में है और यह कि राज्य सरकार भी राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक प्रयोग के लिए निर्धारित भूमि के क्षेत्रफल की कटौती के बाद विकास योजना को प्रमाणित करने के लिए सहमत है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(iv) इंदौर, मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 जून, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स मेडीकैप आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 15 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 31 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 14 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। तथापि, बताया गया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण निवेश निर्णय की संपूर्ण प्रक्रिया में विलंब रहा है। अत: विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि कंपनी सकरात्मक व्यवसाय निर्णय ले सके और निवेश आकर्षित कर सके ताकि इस क्षेत्र में आईटी सेक्टर का विकास हो सके।

(v) हेब्बल औद्योगिक क्षेत्र, मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 22 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 25.45 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त

एसईजेड 26 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 21 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि पहले विस्तार की मंजूरी के अनुसरण में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा एसईजेड में 50840 वर्गमीटर का निर्माण पूरा होने वाला है। विकासक ने कहा है कि सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए उन्हें समय की आवश्यकता है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(vi) टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 अप्रैल, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 30.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 6 अप्रैल, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि पहली बार अवधि बढ़ाने की मांग करने के बाद साइट पर स्पष्ट भौतिक प्रगति हुई है। इसके अलावा आईटी क्षेत्र में हाल की मंदी के कारण आईटी कंपनियां सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एसईजेड नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार पट्टा आधार पर निर्मित क्षेत्र लेकर अपने उद्यम स्थापित करने के लिए आगे नहीं आ रही हैं। विकासक ने यह भी कहा है कि कंपनी अग्रणी आईटी कंपनियों के निरंतर संपर्क में है ताकि वे एसईजेड में अपने उद्यम स्थापित करें। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(vii) प्लाट नंबर 2 और 2 ए, सेक्टर टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स नीति टेक्नोलाजीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 24 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 मई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 23 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि सभी सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के तुरंत बाद एसईजेड के विकास का कार्य शुरू किया गया तथा 30 माह की अवधि में 118.83 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। विकासक ने विकास की गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक और साल के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(viii) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए 26 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 27 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1035.6688 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 26 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि एंकर टीनेंट के रूप में ओएनजीसी के निकलने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रासरूट रिफाइनरी के विकास के लिए मैसर्स जीएमआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है और यह कि मैसर्स जीएमआर ने इस रिफाइनरी तथा पेट्रोकेमिकल काम्प्लेक्स के लिए संभाव्यता अध्ययन शुरू कराया है जो इस साल पूरा हो गया है। प्रस्ताव ग्रास रूट रिफाइनरी के लिए फ्रंट इंड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन (एफईईडी) का अध्ययन शुरू होना है। इसके अलावा सभी मौसम के लिए अनुकूल डीप वाटर पोर्ट के विकास के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट के साथ व्यापक ईआईए और तटीय अंचल प्रबंधन अध्ययन करने के लिए वैपकोस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकासक ने सूचित किया है कि कंपनी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत की एक बड़ी विद्युत कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। विकासक ने यह भी कहा है कि एसईजेड के अंदर लंबी परिपक्वता वाली इन पूंजी सघन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए मौजूदा मास्टर प्लान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने की आवश्यकता है तथा इसके लिए वे संपूर्ण एसईजेड के लिए मास्टर प्लान की समीक्षा करने के लिए मास्टर प्लान के अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के साथ चर्चा के उन्नत चरण में हैं। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक को परियोजना पूरी करने के लिए और समय की आवश्यकता है तथा इसलिए उसने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ix) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 28 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.968 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 27 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि गैर प्रसंसकरण क्षेत्र के विकास का कार्य चल रहा है। इसके अलावा एमआईडीसी द्वारा बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण विकासक निर्माण की गतिविधि शुरू करने की स्थिति में नहीं है। विकासक ने कहा है कि काफी निवेश किया जा सका है तथा कंपनी परियोजना को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा स्थानीय अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण विलंब हो रहा है। इसलिए विकासक ने दूसरी बार औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से अनुरोध किया है।

(x) नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 24 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 16.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 15 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 20 अक्टूबर, 2009 को 1.49 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 18.40 हेक्टेयर हो गया। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 23 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर के निर्मित क्षेत्र का निर्माण, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है, चरण 1 के तहत किया गया है। चरण 2 के तहत निर्माण कार्य शुरू हो गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(xi) मोहाली, पंजाब में फार्मास्युटिकल्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 19 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 32.374 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 18 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत प्रचालनों को लागू करने / पूरा करने के लिए अब तक 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों के अतिरिक्त कैप्सूल, टैबलेट तथा ड्राई सीरप के निर्माण और निर्यात के लिए 5 नवंबर 2007 को एसईजेड की एक यूनिट को एलओए प्रदान किया गया है। यूनिट की वैधता अवधि 17 जून 2011 तक बढ़ाई गई है। यह भी कहा गया है कि उत्पादन / निर्यात शुरू करने के लिए यूनिट द्वारा ईमानदार प्रयास किए गए हैं तथा यूनिट ने काफी निवेश किया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(xii) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स जियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 57.0979 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने पुन: अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है ताकि वे राज्य सरकार की औपचारिकताओं को पूरा कर सकें जो उन पर राज्य सरकार की अड़चनों के कारण शेष हैं। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(xiii) भिवाडी, अलवर जिला, राजस्थान में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2010 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 19.9994 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 26 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 अगस्त, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि एसईजेड परियोजना का मास्टर प्लान राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत किया जा चुका है तथा अनुमोदन के लिए लंबित है। इसे ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

<u>मद संख्या 39.13 :</u> सह विकासकों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) अट्टीप्रा गांव, तिरुवनंतपुरम, केरल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

तिरुवनंतपुरम, केरल में 34.47.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 12 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 22 जून, 2007 के माध्यम से सह विकासक के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए की सामान्य शर्त संख्या viii के अनुसार, अनुमोदन 3 साल के लिए अर्थात 21 जून, 2010 तक वैध है। तथापि, एलओए की सामान्य शर्त संख्या xvi के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। विकासक ने कहा है कि भूमि विकास, 110 केवी की एचटी लाइन के मार्ग में परिवर्तन आदि जैसे कार्यों को पूरा करने में 3 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को और समय की आवश्यकता है और इसलिए इन्होंने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ii) कांचीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड में मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड को एलओए दिनांक 23 अप्रैल, 2007 के माध्यम से सह विकासक के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए की सामान्य शर्त संख्या viii के अनुसार, अनुमोदन 3 साल के लिए अर्थात 13 फरवरी, 2010 तक वैध है। तथापि, एलओए की सामान्य शर्त संख्या xvi के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। विकासक ने कहा है कि वैश्विक मंदी के कारण चरण 1 की निर्माण गतिविधियों को रोकना पड़ा, जिसमें 824749 वर्ग फीट के निर्मित क्षेत्र का निर्माण शामिल है। इसके अलावा परियोजना में 45 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। विकासक को परियोजना

पूरी करने के लिए और समय की आवश्यकता है तथा इसलिए उसने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

<u>मद संख्या 39.14 :</u> सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश / मानदंड 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले आईटी / आईटीईएस / रत्न एवं आभूषण / बायोटेक / गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड आदि तथा स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	ऐसे मामलों में दूसरी बार अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए
बहु उत्पाद	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

2. यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

<u>(i) श्रेणी 1 के मामले जो उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं</u>

निम्नलिखित मामला उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करता है तथा दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है :

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	एलएमजेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	एफटीडब्ल्यूजेड, 40 हेक्टेयर	कांडला, गुजरात	एलओए दिनांक 11 जनवरी, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 5 नवंबर 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक को पहला समय विस्तार प्रदान किया गया जो 10 जनवरी 2010 तक वैध था। विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि

				भूमि की पहचान कर ली गई है तथा राज्य सरकार को अपेक्षित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं, तथापि, राज्य सरकार ने पहले विस्तार प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इस मामले में 60 प्रतिशत भूमि विकासक के कब्जे में नहीं है।

मद संख्या 39.15 : **मैसर्स आस्कर इंटरनेशनल जो केएएसईजेड की एक यूनिट है, के मौजूदा एलओए में सिगरेट को शामिल करने / ब्राड बैंडिंग के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड का अनुरोध**

एलओए दिनांक 15 जुलाई 2009 के माध्यम से विभिन्न मदों के व्यापार के लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स आस्कर इंटरनेशनल को मंजूरी प्रदान की गई थी। यूनिट ने यह कहते हुए अपने मौजूदा एलओए में सिगरेट को शामिल करने/ ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध किया था कि यह उत्पाद डीटीए में नहीं बेचा जाएगा। तथापि, यूनिट ने कहा कि उत्पाद की आपूर्ति मुक्त विदेशी मुद्रा (ईईएफसी खाता से) में भुगतान पर ड्यूटी फ्री शॉप को की जाएगी। 23 जून 2009 को यूनिट अनुमोदन समिति में अनुरोध पर विचार किया गया तथा स्पष्ट किया गया कि आटोमेटिक अप्रूवल रूट के तहत तंबाकू उत्पादों को मंजूरी प्रदान नहीं की जा सकती है।

इसके बाद यूनिट ने एक बार फिर विकास आयुक्त से यह कहते हुए अपने मौजूदा मंजूरी पत्र में सिगरेट को शामिल करने के लिए अनुरोध किया कि निर्मित उत्पाद अर्थात सिगरेट की पूरी मात्रा का केएएसईजेड में विदेशी राष्ट्रों से आयात किया जाएगा तथा भारत में अन्य बांडेड वेयरहाउस को केएएसईजेड से निर्यात किया जाएगा। 8 दिसंबर 2009 को यूनिट अनुमोदन समिति में अनुरोध पर पुन: विचार किया गया तथा समिति ने मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय किया क्योंकि इसने नोट किया कि सिगरेट आटोमेटिक अप्रूवल के दायरे में नहीं आता है।

मद संख्या 39.16 : **एसईजेड से दालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अनुमत करने के लिए मैसर्स यूएमए एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध**

एसईजेड में तथा एसईजेड से मसूर दाल के निर्यात में प्रोसेसिंग के लिए 14 अक्टूबर 2008 को मैसर्स यूएमए एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को एलओए प्रदान किया गया। इसके बाद यूनिट का स्टेटस एलओए दिनांक 10 नवंबर 2008 के माध्यम से मसूर दाल की 'प्रसंस्करण यूनिट' से बदलकर 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूनिट' किया गया। चूंकि दालें निर्यात की निषिद्ध सूची में हैं, इसलिए एसईजेड के विकासकों / यूनिटों द्वारा उठाए गए नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 22 दिसंसबर 2009 को श्री डी के मित्तल, अपर सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डीजीएफटी को निर्यात के लिए निषिद्ध माल के संबंध में एसईजेड की यूनिटों को छूट प्रदान करने के लिए विदेश व्यापार नीति में उपयुक्त संशोधन पर विचार करना चाहिए तथा एसईजेड यूनिटों को ऐसे माल का निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है जहां माल का आयात किया गया है तथा कोई डीटीए प्रापण नहीं किया गया है। डीजीएफटी से स्पष्टीकरण की प्राप्ति तक यूनिट को प्रदान किया गया अनुमोदन भी निलंबित कर दिया गया। डीजीएफटी से

अभी तक कोई टिप्पणी / स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। यूनिट इस बात के लिए काफी दबाव डाल रही है कि दालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उन पर लगाया गया निलंबन हटाया जाए क्योंकि यूनिट केवल भारत से दालों का आयात कर रही है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने भी इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 13)। इस विभाग ने भी अनुदेश संख्या 47 के रूप में पत्र संख्या सी.4/1/2010-एसईजेड दिनांक 4 मार्च 2010 के माध्यम से कुछ दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से यूनिट को कुछ शर्तों के अधीन निषिद्ध मदों का आयात / निर्यात करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए (अनुबंध 14)।

मद संख्या 39.17 : इंदौर एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रकाश ओवरसीज का अनुरोध

इस विभाग द्वारा जारी किया गया अनुदेश संख्या 47 (अनुबंध 14) अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ निषिद्ध मदों के निर्यात की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान करता है, बशर्ते कि एसईजेड यूनिट इसके लिए कच्चे माल का आयात करती है। उपर्युक्त अनुदेश का हवाला देते हुए विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने मैसर्स प्रकाश ओवरसीज जो इंदौर एसईजेड में दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने के लिए एक साझेदारी फर्म है, के अनुरोध को अग्रेषित किया है। विकास आयुक्त ने कहा है कि यूनिट से प्राप्त आवेदन तथा अन्य संबद्ध दस्तावेजों के अनुसार यह ग्रुप 35 साल से अधिक समय से इस व्यापार से जुड़ा है तथा आस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, अफ्रीका, दुबई आदि से दालों का पहले से ही आयात कर रहा है। इसके अलावा ग्रुप ने दावा किया है कि वे दालों के निर्यात पर रोक लगने से पूर्व निर्मित दालों का निर्यात कर रहे थे। यूनिट ने यह भी कहा है कि दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने का उद्देश्य पूरे विश्व से विभिन्न स्रोतों से कच्चे माल का आयात करना तथा उपभोग केन्द्रों को मूल्यवर्धित दालों का निर्यात करना है। विकास आयुक्त ने कहा है कि अनुमोदन समिति में मैसर्स प्रकाश ओवरसीज के अनुरोध पर विचार किया गया तथा समिति ने अनुमोदन के लिए मामले को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड को यह विचार करना है कि क्या मैसर्स प्रकाश ओवरसीज को दालों के निर्यात के लिए दाल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मद संख्या 39.18 : अप्रयुक्त माल के विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध

(i) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा अप्रयुक्त माल के विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड के विकासक ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत अधिकृत प्रचालनों के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र से 8259282 रुपए के कुल मूल्य के माल की खरीदारी की थी। तथापि, एक साल की अवधि के अंदर माल का उपयोग नहीं हुआ। विकास आयुक्त ने कहा है कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 37(1) के अनुसार विकासक को एसईजेड में माल की प्राप्ति की तिथि से एक साल के अंदर विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए था। तथापि, विकासक ने एक साल

की अवधि बीत जाने के बाद विस्तार के लिए आवेदन किया और इसलिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 37 (2) के अनुसार ड्यूटी का भुगतान करने के लिए पात्र बना। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि निर्धारित अधिकारी ने विकासक से लागू ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कहा है। ड्यूटी के लिए मांग किए जाने पर विकासक ने विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध किया था। यूनिट अनुमोदन समिति में अनुरोध पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि चूंकि यह चूक तकनीकी प्रकृति की है इसलिए अनुमोदन बोर्ड से विशेष मामले के रूप में विस्तार के लिए विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

(ii) तलवाडे, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकासक मैसर्स सिंटेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रयुक्त माल के विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए विकास आयुक्त, आईटी / आईटीईएस एसईजेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड के विकासक ने एसईजेड अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के तहत अधिकृत प्रचालनों के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल की खरीदारी की थी। तथापि, 2677100 रुपए के कुल मूल्य के माल का उपयोग एक साल की अवधि के अंदर नहीं हुआ। विकास आयुक्त ने कहा है कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 37(1) के अनुसार विकासक को एसईजेड में माल की प्राप्ति की तिथि से एक साल के अंदर विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए था। तथापि, विकासक ने एक साल की अवधि बीत जाने के बाद विस्तार के लिए आवेदन किया और इसलिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 37 (2) के अनुसार ड्यूटी का भुगतान करने के लिए पात्र बना। विकास आयुक्त ने यह भी कहा है कि निर्धारित अधिकारी ने विकासक से लागू ड्यूटी का भुगतान करने के लिए कहा है। ड्यूटी के लिए मांग किए जाने पर विकासक ने विस्तार के लिए आवेदन दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध किया था। यूनिट अनुमोदन समिति में अनुरोध पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि चूंकि यह चूक तकनीकी प्रकृति की है इसलिए अनुमोदन बोर्ड से विशेष मामले के रूप में विस्तार के लिए विलंब को माफ करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

मद संख्या 39.19 : श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबली के विकास के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स अपोलो हास्पिटल्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांचीपुरम, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स, दूरसंचार तथा आईटी हार्डवेयर के निर्माण और असेंबलिंग के लिए तथा साफ्टवेयर के विकास, अनुसंधान एवं विकास सेवाओं तथा दूरसंचार में अन्य सेवाओं के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 85.375 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 17 अगस्त 2005 को अधिसूचित किया गया था। उक्त एसईजेड को 19 जुलाई, 2006 को पुन: अधिसूचित किया गया। एलओए दिनांक 21 अगस्त 2009 के माध्यम से मैसर्स अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित है। 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में सह विकासक को निम्नलिखित के

अधीन एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालन के रूप में 60 बिस्तर वाला अस्पताल (जिसका क्षेत्रफल 4010 वर्गमीटर होगा) स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी।

क) अस्पताल केवल इस एसईजेड के स्टाफ, आसपास के एसईजेड के स्टाफ तथा हाइवे पर दुर्घटनाओं के कारण ट्रामा के मामलों के लिए सेवाएं प्रदान करेगा;
ख) उपर्युक्त श्रेणी के अलावा किसी बाहरी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा; और
ग) नोकिया एसईजेड, विकासक को इस संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय से अवश्य अवगत कराया जाएगा ताकि अनुमोदन की मूल भावना बनी रहे।

अब विकासक ने यह कहते हुए उपर्युक्त शर्तों में ढील प्रदान करने का अनुरोध किया है कि यह उनकी व्यावसायिक चिकित्सा नैतिकता में दखल है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है और प्रचालन से जुड़ी गंभीर कमियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। विकासक का अनुरोध अनुबंध 15 के रूप में संलग्न है।

मद संख्या 39.20 : मैसर्स नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट के संबंध में अगले 5 वर्षों के लिए एलओए का नवीकरण

मैसर्स नैरा एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड प्लास्टिक ग्रैनूल्स और रीप्रोसेस्ड प्लास्टिक एगलोमरेट के विनिर्माण और निर्यात के लिए एलओपी का धारक है। यूनिट ने 12 फरवरी 1999 को उत्पादन शुरू किया था तथा 11 फरवरी 2009 को प्रचालन के 5 वर्षों का दूसरा ब्लाक पूरा कर लिया है। एसईजेड नियमावली के नियम 18(4) (क) के अनुसार, प्लास्टिक स्क्रैप / अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में शामिल यूनिटों के एलओए के नवीकरण के लिए प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 11 फरवरी 2009 के बाद 5 साल की अवधि के लिए यूनिट की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया गया। तथापि, बोर्ड ने केवल एक साल की अगली अवधि के लिए एलओपी के नवीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की थी। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने कहा है कि यूनिट ने 12 फरवरी 2010 के बाद 11 फरवरी 2014 तक अर्थात 5 वर्ष के तीसरे ब्लाक की शेष 4 वर्ष की अवधि के लिए अपने एलओपी के नवीकरण के लिए अनुरोध किया है।

11 फरवरी 2004 से 16 जनवरी 2009 के दौरान यूनिट के विदेश व्यापार निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. पांच वर्षों के दौरान निर्यात : 4154.79 लाख रुपए
2. आयात का कुल बहिर्प्रवाह : 4104.47 रुपए
3. एनएफई अर्जन : +50.32 लाख रुपए

फाल्टा एसईजेड के विकास आयुक्त ने कहा है कि यूनिट ने संचयी रूप में और संचयी रूप में सकारात्मक एनएफई प्राप्त की है। एसईजेड ने यह भी कहा है कि यूनिट वित्त वर्ष 2006-07 से विदेशी मुद्रा में भुगतान के विरुद्ध डीटीए में माल की बिक्री के माध्यम से निर्यात करने में समर्थ रही है। अगले 5 वर्षों के लिए संशोधित अनुमानित निर्यात और आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1.	निर्यातों का एफओबी मूल्य	7772.82 लाख
2.	आयातित सीजी का सीआईएफ मूल्य	शून्य
3.	आयातित आरएम एवं कंपोनेंट का सीआईएफ मूल्य	6046.00 लाख
4.	आयातित स्पेयर और उपभोज्य वस्तुओं का सीआईएफ मूल्य	शून्य
5.	लाभांशों का प्रत्यर्पण	शून्य
6.	भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर भुगतान	शून्य
7.	विदेश यात्रा	शून्य
8.	निर्यात पर कमीशन	शून्य
9.	कोई अन्य भुगतान	शून्य
10.	एनएफई अर्जन	1726.82 लाख रुपए

11 फरवरी 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

<u>मद संख्या 39.21 :</u> खेड, पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद्य एसईजेड के संबंध में सन्निकटता की शर्त में ढील देने के लिए अनुरोध

खेड तालुक, पुणे जिला, महाराष्ट्र में 1085.92 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद्य एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 2 जनवरी 2009 के माध्यम से मैसर्स भारत फोर्ज लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद एलओए दिनांक 12 जनवरी 2009 के माध्यम से क्षेत्रफल बढ़ाकर 1559.81 हेक्टेयर किया गया तथा एलओए दिनांक 30 जनवरी 2009 के माध्यम से अनुमोदन मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (केईआईपीएल) के पक्ष में अंतरित किया गया। अन्य जिला रोड (ओडीआर) संख्या 36 के 0.95 किलोमीटर का अंश जो पुणे जिला परिषद के क्षेत्राधिकार में आता है, इस प्रस्तावित एसईजेड से होकर गुजरता है। विकासक ने आम जनता के लिए खुली पहुंच का सुनिश्चय करने के लिए ओडीआर-36 के इस अंश के दोनों ओर चारदीवारी का निर्माण करने तथा एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है। विकासक के प्रस्ताव को जिला परिषद, पुणे द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। विकासक ने कहा है कि एसईजेड नियमावली 2006 में निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 39.22 : सह विकासक का स्टेटस अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैसर्स खराडी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के लिए मैसर्स मैपल ट्री मारीशस 2 लिमिटेड का अनुरोध

5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड को मैशर्स एयान खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया था। अनुमोदन प्राप्त करने के समय उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में आवेदन पत्र

में बताया गया था कि सह विकासक मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड की कोई सहायक कंपनी होगी। इसके अलावा विकासक तथा मैसर्स मैपलट्री मारीशस 2 लिमिटेड (एमएमएल) के बीच 9 सितंबर 2009 को किए गए सह विकासक करार के खंड 23 में भी इस बात का उल्लेख है कि एमएमएल से विकासक को नोटिस तालीम होने पर (नवाचार नोटिस), जिसमें विकासक को एमएमएल की सहायक कंपनी की स्थापना तथा सह विकासक के रूप में एमएमएल की सहायक कंपनी को नामित करने की सूचना होगी, इस करार के तहत एमएमएल के सभी अधिकार बाध्यताएं एमएमएल की सहायक कंपनी को अंतरित हो जाएंगी। तद्नुसार एमएमएल ने भारत में मैसर्स पुणे खराडी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक अपनी सहायक कंपनी का निगमन किया है और इसलिए मंजूरी पत्र अंतरित करने का अनुरोध किया है। अनुमोदन बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार फाइल पर एमएमएल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की गई तथा 28 जनवरी 2010 को एलओए जारी किया गया। यह अनुमोदन बोर्ड के सूचनार्थ / पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

*****

अनुबंध -12

मैसर्स एनएसएल एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शोलिंगनल्लूर, तंबारम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अपील / अभिवेदन की संक्षिप्त पृष्ठभूमि [मद संख्या 39.8(ii)]

अलामेलू मंगापुरम और गणपति सिंडीकेट आवासीय प्लाट स्वामी कल्याण संगठन, शोलिंगनल्लूर ने वाणिज्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 3 मई 2007, जिसके माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड को अधिसूचित किया गया है, के विरुद्ध अभिवेदन दिया है / अपील की है। अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड (एनएसएल) के प्रस्ताव को 8 अगस्त 2006 को अपनी औपचारिक मंजूरी प्रदान की थी। इसके बाद औपचारिक मंजूरी 11 अप्रैल 2007 को मैसर्स जिलियान एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम में अंतरित की गई और अंततः एसईजेड 18.60.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 3 मई 2007 को अधिसूचित किया गया। इसके बाद विकास आयुक्त, मद्रास एसईजेड ने अधिसूचित भूमि के कुछ अंश पर विवाद की सूचना दी। विकास आयुक्त के अनुसार, जब नवंबर 2006 में निरीक्षण किया गया था तब भूमि सन्निकट एवं खाली थी तथा किसी ने आपत्ति नहीं की थी। जब विकासक ने एसईजेड की घेराबंदी करने की कार्रवाई शुरू की तब स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध हुआ। कुछ स्थानीय भूखंड स्वामियों ने जिला कलेक्टर के पास आवेदन प्रस्तुत किया तथा मद्रास उच्च न्यायालय में भी मामला दाखिल किया। पाया गया कि विवादित भूमि सर्वेक्षण 9 के तहत लगभग 14.15 एकड़ है जो अधिसूचना में शामिल हुई है। जब विकास आयुक्त द्वारा विकासक के साथ मामले को उठाया गया तो विकासक ने सूचित किया कि उन्होंने जमीन खरीदी है तथा उस पर उनका कब्जा भी है। विकास आयुक्त ने यह भी कहा था कि यदि विवादित भूमि को छोड़ भी दिया जाए तो भी शेष भूमि आईटीएसईजेड के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता को पूरी करेगी। अतः विकास आयुक्त ने सिफारिश की थी कि विकासक को न्यायिक मामले का निपटारा होने तक 14.15 एकड़ की विवादित भूमि पर कोई गतिविधि शुरू न करने की सलाह दी जाए।

इसलिए विकासक से अविवादित क्षेत्र में से विवादित क्षेत्र को घटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तथा जब न्यायिक मामले का निपटारा हो जाएगा तो उसे उसे पक्ष में शामिल किया जा सकता है।

संगठन का अभिवेदन / अपील प्राप्त होने पर विकास आयुक्त की टिप्पणियां मंगाई गईं। विकास आयुक्त ने दोहराया कि प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के बाद तथा तहसीलदार के दस्तवेजों का सत्यापन करने के बाद अधिसूचना जारी की गई। विकास आयुक्त की यह राय थी कि जब तक न्यायिक मामले का निपटारा नहीं हो जाता है, इस मामले में कोई नजरिया अपनाना जल्दबाजी होगी

और इसलिए विवादित भूमि को विमुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता है। न्यायिक मामले के निस्तारण के बाद ही यह संभव है।

तदनुसार यह कहते हुए अपील का निपटारा किया गया कि माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय के बाद ही मामले की विधिवत रूप से जांच की जाएगी।

आगे चलकर संगठन ने प्रथम आवेदक अर्थात अनुमोदन बोर्ड को उपर्युक्त अपील / अभिवेदन का निस्तारण करने का निदेश देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में परमादेश के लिए रिट याचिका दाखिल किया। न्यायालय ने आदेश दिनांक 8 मार्च 2010 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड को 8 सप्ताह की अवधि के अंदर अपील का निस्तारण करने का निदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि इस विकास की सलाह के अनुसार, विकासक ने 13.08.4 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने तथा एसईजेड के क्षेत्रफल में 5.72.1 हेक्टेयर भूमि को शामिल करने के लिए भी अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 11.24.1 हेक्टेयर हो जाएगा। यह अनुरोध भी एजेंडा की मद संख्या 39.8(i) माध्यम से विचाराधीन है।

***